21/03/22

दिनांक 12/03/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा नहीं होने के पश्चात पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। TDR रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली। की गई विपक्षीगण को नोटिस दिलाने मौजूद नोटिस दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 73/2020

प्रार्थी

1. गफूरखान पुत्र लखाना
   कौम कुम्भार मुसलमान निवासी गुड़ामालानी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गुल मोहम्मद पुत्र खमीशा
2. वली मोहम्मद पुत्र खमीशा
3. पीरा पुत्र लखाना फौत के कायम मुकाम :–
   3/1 शोकत खान पुत्र पीरा
   3/2 जरिना पुत्री पीरा
   3/3 रूखसाना पुत्री पीरा
   3/4 आवेश खान पुत्र पीरा
   3/5 फातमा पत्नी पीरा
   कौम कुम्भार मुसलमान निवासी गुड़ामालानी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **विप्रार्थीगण – अनुपस्थित**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 29/03/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3/5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 1783/1 रकबा 6–17 बीघा तथा ग्राम सिन्धासवा चौहान में खेत खसरा नम्बर 41, 43 कुल रकबा 48–09 बीघा की आयी हुई है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम गफूरखान है जबकि उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का घर में बोले जाने वाला नाम हकीमा तथा सुभान वल्द लखाना दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे राजस्व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की दुरूस्ती कराने हेतु उक्त प्रार्थना प्रस्तुत आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दिनांक 2[illegible]2021 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को समन जारी किये बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 04 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 06 दिनांक 17.12.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1783/1 रकबा 6–17 बीघा भूमि पीरा सुभान पि0 लखाना कौम मुसलमान कुम्भार के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है, इसमें

[illegible] अधिकारी, गुड़ामालानी

सुभान पुत्र लखाना खातेदार का वास्तविक एवं सही नाम गफूरखां पुत्र लखाना है। प्रार्थी के पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड आदि में नाम गफूरखां पुत्र लखाना दर्ज है, राजस्व रेकर्ड में सहवन से गलत दर्ज हुआ है अतः सही नाम गफूरखां दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता हरीश चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3/5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1783/1 रकबा 6-17 बीघा एवं ग्राम सिन्धासवा चौहान के खेत खसरा नम्बर 41, 43 कुल रकबा 48-09 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम "हकीमा तथा सुभान पुत्र लखाना के स्थान पर "गफूरखान पुत्र लखाना खान" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 29/3/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:32 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) गुड़ामालानी